

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:-

मे० आई०एच०बी० लि० द्वारा कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अंतर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे० संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे० संरक्षित वनभूमि, जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे० संरक्षित एवं 3.7028 हे० आरक्षित कुल 3.9806 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०९/२०६/२०२२/एफ०सी०/७१७, दिनांक 29.11.2022, मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-1806/2-6, दिनांक 13.01.2025, पत्रांक-2308/2-6, दिनांक 13.03.2022, मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-2104/14-10-4, दिनांक 21.11.2024, पत्रांक-4827/14-10-4, दिनांक 19.04.2023, पत्रांक-3974/14-10-4, दिनांक 28.02.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज का पत्रांक-559/15-1, दिनांक 09.08.2024, पत्रांक-2893/15-1, दिनांक 23.03.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ का पत्रांक-11043/14-10-4, दिनांक 10.04.2023 एवं पत्रांक-9484/14-10-4, दिनांक 23.02.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्रांक-1806/2-6, दिनांक 13.01.2025, पत्रांक-2308/2-6, दिनांक 13.03.2022, मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक-2104/14-10-4, दिनांक 21.11.2024, पत्रांक-4827/14-10-4, दिनांक 19.04.2023, पत्रांक-3974/14-10-4, दिनांक 28.02.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज के पत्रांक-559/15-1, दिनांक 09.08.2024, पत्रांक-2893/15-1, दिनांक 23.03.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांक-11043/14-10-4, दिनांक 10.04.2023 एवं पत्रांक-9484/14-10-4, दिनांक 23.02.2023 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 18.03.2025 को अपलोड कर प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2682 / 11-सी-FP/UP/Others/42798/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, आजमगढ़, प्रयागराज एवं वाराणसी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, रायबरेली, वाराणसी एवं लखनऊ।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, आई०एच०बी० लि०, पहली मंजिल, विश्वशील परिसर, बी-2/6, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।